न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

P 1105 – I – 17

प्र.कं   /2017 पुनरीक्षण

राजेन्द्र सिंह पुत्र जमना सिंह
निवासी स्टेशन चौराहा, सिविल वार्ड नं. 8
दमोह तह. व जिला दमोह (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. मदनलाल पुत्र परसादी पटेल
2. रामसखी पत्नी मदनलाल पटेल

निवसीगण ग्राम करैया हजारी [illegible]कपुर रोड
कुचवंदिया टोला तह. व जिला दमोह

.... अनावेदकगण

दिनांक 6-4-17 को श्री मुकेश भार्गव अभि० द्वारा प्रस्तुत
6-4-17

मुकेश भार्गव
6-4-17 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय नायब तहसीलदार दमोह जिला दमोह द्वारा रा. प्र. कं. 04अ/70/वर्ष 16–17 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 31.3.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, ग्राम करैया हजारी तह. दमोह में स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 204 रकवा 12.900 हे0 भूमि का तहसील न्यायालय दमोह ने रा.प्र.क. 01अ/19(1) वर्ष 91–92 में आदेश दिनांक 31.12.91 द्वारा आवेदक के पिता जमना सिंह को भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर सर्वे कं. 204 के बटांकन कर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–1105–एक/2017 जिला–दमोह

राजेन्द्र सिंह विरूद्ध मदनलाल व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार दमोह, जिला–दमोह के प्रकरण क्रमांक 04/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31–03–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/3/19	